

15-10-17 07/10/17  
 मालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० ..... 484/2017 ..... धारा 107 द.प्र.स.

दिनांक	आवेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आवेश पत्र पर की गई कारवाही
3-17	इश्वर नाल कुमर बनाम ओ० शक्ति अंशरी राजगोत्र धाना अप्राथमिकी सं० ०६/१२	9-5-17 17/5/17
	प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जॉब पदाधिकारी सं० अ०नि०/अ०नि० ..... राजगोत्र ..... ने जॉब कर अपना प्रतिवेदन धाना प्रभारी ..... राजगोत्र ..... धाना एवं अ० निरी० ..... केकरार ..... ने अज्ञात किया है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच ..... को	27/5/17 10/6/17 23/6/17 10/7/17 26/8/17 10/8/17 29/8/17
	..... लेकर तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक ..... 15.4.17 ..... को 10.30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रु० का दो समप्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।	21/9/17 20/9/17 9/10/17 24/10/17 31/11/17 समाप्त

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी  
धनबाद

अनुमंडल दण्डाधिकारी  
धनबाद

0322  
03/11/18  
03/11/18

01/11/18 - प्रथम पत्र गवाह के साथ हाजरी है।  
द्वितीय पत्र भी हाजरी है।  
दि 20/9/18 को रखे

का

20/9/18 - प्रथम पत्र गवाह के साथ हाजरी है।  
द्वितीय पत्र भी हाजरी है।  
दि 9/10/18 को रखे कर

9/10/18 - ~~उक्त~~ प्रथम पत्र अड्डा है।  
दि को रखे  
पुनः प्रथम पत्र गवाह के साथ हाजरी है।  
द्वितीय पत्र भी हाजरी है।  
अतिरिक्त 24/10/18 को रखे।

फेम  
03/11/18  
कार्यवाही

24-10-18 प्रथम पत्र 4/4 की एक गवाह के साथ हाजरी है।  
द्वितीय पत्र भी हाजरी है।  
अतिरिक्त 11/11/18 को रखे

की

03/11/18 - प्रथम पत्र को हाजरी है।  
द्वितीय पत्र अड्डा है।  
कालवादी के साथ गवाह के साथ हाजरी है।  
अतिरिक्त 11/11/18 को रखे।  
अलवादि

फेम  
03/11/18